कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
सोनभद्र

पत्रांक : 3736/1C
दिनांक– 27/12/2019

सेवा में,

प्रोजेक्ट मैनेजर
ओ0सी0बी0टी0एल0
सोनभद्र, उ0प्र0।

विषयः– अनापत्ति प्रमाण पत्र 400 के0वी0 डी0/सी0 ओबरा–जौनपुर पारेषण लाईन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्र **OCBTL/Robertsganj/SH/19/15 दिनांक 06.08.2019.**

आपके उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में 400 के0वी0डी0/सी0 ओबरा–जौनपुर पारेषण लाईन के सम्बन्ध में जो राज्य मार्ग सं0–5, माईलस्टोन 358, 359 निकट ददरा के पास क्रास कर रहा है जिसका निरीक्षण दिनांक 16.10.2019 को श्री प्रेम सिंह सहायक अभियन्ता व श्री विनोद कुमार अवर अभियन्ता द्वारा किया गया है।

उक्त 400 के0वी0 पारेषण लाईन के राज्य मार्ग–5, के किलो मीटर स्टोन 358 एवं 359 के बीच पेन्टेड मार्ग के उपर बसे क्रासिंग के स्थान पर वर्टिकल क्लीयरेन्स 17.98 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। उक्त राज्य मार्ग –5 पर किसी प्रकार के वाहनो के आवागमन पर व्यवधान नहीं होना चाहिए। प्रेषित पत्र द्वारा मांगी गयी अनुमति के संदर्भ में निम्न शर्तो पर रोड के ऊपर से लाईन को क्रास करने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

1. मार्ग के पी0डब्ल्यू0डी0 आर0ओ0डब्ल्यू0डी0 भाग में कोई टॉवर न लगाया जाये।
2. मार्ग की सतह व पटरी को कोई क्षति न पहुंचाई जाये।
3. मार्ग पर लाईन क्रास कराते समय, यातायात के संचालन में कोई व्यवधान न उत्पन्न हो तथा यदि कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
4. लाईन के संचालन के बाद, यदि उक्त लाईन से किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय दुर्घटना होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
5. भविष्य में यदि उपरोक्त पारेषण लाईन को किसी कारण वश वर्टिकल क्लीयरेन्स एवं चौड़ाई बढ़ाने की आवश्यकता होगी तो आपको अपने खर्च से कराना पड़ेगा।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
सोनभद्र

पत्रांक : /
दिनांक –

प्रतिलिपि :–

1– सहायक अभियन्ता चतुर्थ, प्रा0खं0, लो0नि0वि0, सोनभद्र को सूचनार्थ प्रेषित।
2– अवर अभियन्ता (प्रा0), प्रा0खं0, लो0नि0वि0 सोनभद्र को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर – वन प्रभाग
मीरजापुर

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
सोनभद्र